नहीं किया गया है। अतिशीघ्र निस्तारण किया जाये अन्यथा प्रदेश कार्यसमिति के पूर्व निर्णय के अनुसार आय प्रमाण पत्रों में प्रदेश के समस्त लेखपाल आख्या अंकित करने का बहिष्कार करने के लिए विवश होंगे।

10. शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों की समस्याओं के सामयिक निराकरण हेतु प्रत्येक माह की 05 तारीख नियत है, जिसका अनुपालन अधिकांश जिलाधिकारियों/उप जिलाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा।

अतः प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिये जायें।

11. शासन द्वारा विगत एक वर्ष पूर्व समस्त राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्ता को दुगना किया गया था, परन्तु उक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में परिषदादेश अभी तक निर्गत न होंने के कारण जनपदों पर लेखपालों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि संस्था द्वारा कई पत्र महोदय को प्रेषित किये जा चुके है।

12. प्रदेश के जनपदों में पूर्व में चतुर्थ श्रेणी के रूप में कार्यरत लेखपालों का जी0पी0एफ0 तृतीय श्रेणी होने के पश्चात् उनके जी0पी0एफ0 खातों में पूर्व का जमा धन ट्रान्सफर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण प्रभावित लेखपालों की जमा धनराशि पर ब्याज नहीं दिया जा रहा है और आर्थिक क्षति हो रही है।

अतः अतिशीघ्र चतुर्थ श्रेणी के रूप में पूर्व में की गयी कटौती को तृतीय श्रेणी में आने के पश्चात् जी0पी0एफ0 खातों में धनराशि स्थानान्तरित करने हेतु सम्बन्धितों को कड़े निर्देश अतिशीघ्र प्रसारित किये जायें।

महोदय द्वारा सदैव से कर्मचारियों की न्यायोचित मांगो पर सकारात्मक रूख अपनाते हुए कार्यवाहियां की गयीं हैं और न्याय प्रदान किया गया है। अतः संस्था आशावान है कि महोदय की न्यायप्रियता एवं कुशल दृष्टिकोण होने के नाते उक्त समस्याओं का अतिशीघ्र निराकरण कर दिया जायेगा।

शुभ आशाओं सहित न्याय की प्रत्याशा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मा0 राजस्व मंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार लखनऊ।
2. मा0 प्रमुख सचिव महोदय, (राजस्व) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मा0 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, लखनऊ।
4. प्रदेश अध्यक्ष उ0प्र0 लेखपाल संघ।
5. समस्त प्रान्तीय/जनपदीय पदाधिकारीगण को सूचनार्थ।
6. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कैसरबाग, लखनऊ।

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामंत्री